

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0032 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
05/12/2025 16:27 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Friday Date from (दिनांक से): 05/12/2025 Date To (दिनांक तक): 05/12/2025
Time Period (समय अवधि): Pahar 5 Time From (समय से): 14:00 hrs Time To (समय तक): 14:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/12/2025 Time (समय): 16:00 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 011 Date and Time (दिनांक और समय): 05/12/2025 16:08 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 40 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): नजदीक झरोठी टोल प्लाजा खरखौदा,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): ललीत सिंह

(b) Father's Name (पिताका नाम): राजबीर सिंह दहिया

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1985

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):



Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	451/9, गली न0 2 ऋषि कुंज कालोनी, देवड़ रोड सोनीपतSONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	451/9, गली न0 2 ऋषि कुंज कालोनी, देवड़ रोड सोनीपतSONIPAT, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8708930507

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	SHO			1. थाना GRP सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

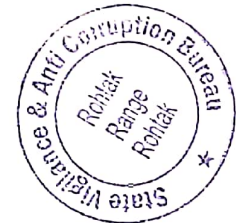
10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में
निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
रोहतक ।
श्रीमानजी,



सविनय निवेदन यह है कि मैं ललीत सिंह पुत्र श्री राजबीर सिंह दहिया निवासी मकान नं0 451/9 गली न0 2 ऋषि कुंज कालोनी देवडू रोड सोनीपत का कहने वाला हूँ। और गुरुग्राम में कम्पनी में काम करता हूँ। वर्ष 2024 में निशा चहल वासी पटेल नगर सोनीपत ने मेरे खिलाफ एक शिकायत मारपीट करने व बतमीजी करने वारे GRP थाना सोनीपत में दी थी जिस सम्बन्ध में मुझे थाना में बुलाया गया और अजय नाम के पुलिस कर्मचारी ने मेरे से 10,000/- rs लिए और मुझे कहा की आपका केस खत्म कर दुगां इसके बाद दिनांक 12.10.2025 को मेरे पास GRP थाना सोनीपत से फोन आया और मुझे कहां गया कि आपके खिलाफ निशा चहल ने जो शिकायत पहले दी थी उसको दोबारा से रीओपन कर दिया गया है। आप थाना में आ जाओ। इसके बाद मैं उसी दिन GRP थाना सोनीपत में गया और वहां जाकर मैं SHO साहव से मिला। मैं SHO साहव का नाम नहीं जानता SHO साहव ने मुझे कहां की आपके खिलाफ निशा चहल ने एक शिकायत दी है। जिसमें उस पर दोबारा कार्यवाही की जावे। मैंने SHO साहव को कहां की सर मेरी वर्ष 2024 में दी हुई शिकायत को तो अजय साहव द्वारा क्लोज कर दिया गया था। जिस पर SHO साहव द्वारा मुझे कहां गया कि वो तो पहले वाली शिकायत थी। अब दोबारा नई शिकायत आई है अगर इस शिकायत को क्लोज करवाना चाहते हो तो आपको मेरे को 10,000/- रुपये और देने पड़ेंगे अगर आप मेरे को पैसे नहीं दोगे तो मैं तेरे खिलाफ केस दर्ज कर दुंगा। जो मेने SHO साहव को कहां की अब तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं फिर कभी आपको पैसे दे दुंगा। दिनांक 02.12.2025 को मेरे पास SHO साहव के मोबाईल नं0 8814888713 से मेरे मोबाईल नं0 9311905775 पर फोन आया जिसने मुझे कहां की आप आये नहीं मेने SHO साहव को बतलाया कि मैं कल आपके पास आ जाउंगा। जो कल दिनांक 03.12.2025 को थाना GRP सोनीपत में SHO साहव के पास गया जो SHO साहव ने मेरे से कहां की कर लिया पैसो का प्रवन्ध मेने SHO साहव को कहां की सर आज तो केवल 5,000/- रुपये का ही प्रवन्ध हो पाया है। जो SHO साहव ने कहां की आज तो 5,000/- रुपये दे जा। कल बाकि के 5,000/- रुपये दे जाना। मैं उस भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी को रिश्त के पैसे नहीं देना चाहता। मेरे और SHO साहव के बीच रिश्त वारे हुई बातचीत की कुछ रिकार्डिंग है। जिसको मैं बाद में पैनड्राइव में डालकर आपको पेश कर दुंगा। अतः SHO साहव थाना GRP सोनीपत के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। हस्ता अंग्रेजी - Lalit

ललीत सिंह दहिया पुत्र श्री राजबीर सिंह दहिया

मकान नं0 451/9 गली न0 2

ऋषि कुंज कालोनी देवडू रोड सोनीपत।

दिनांक 05/12/2025

Mob- No. 8708930507

कार्यवाही पुलिस:- आज दिनांक 05.12.2025 को मैं अपने सहयोगी स्टाफ विप्रेन्द्र 1293/सोनीपत, ASI संदीप 79/दादरी, Ct. सुनील 581/झज्जर EASI सजंय 555/दादरी, HC अनिल 571/झज्जर, HC सत्यवान 645/GRP बासवारी गाडी न0 HR03GV-9489 जिसका चालक EASI बिजेन्द्र 1550/रोहतक झरोठी टोल के नजदीक हाजीर मौजूद था। की ललीत सिंह दहिया पुत्र श्री राजबीर सिंह दहिया निवासी मकान No 451/9 गली न0 2 ऋषि कुंज कालोनी देवडू रोड सोनीपत ने मेरे सम्मुख उपरोक्त एक लिखित दरखास्त पेश की और अपने और आरोपी SHO थाना GRP सोनीपत के बीच रिश्त वारे हुई बातचीत की रिकार्डिंग को सुनाया गया। उक्त वारे उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया जिन्होंने शीघ्र कानूनी कार्यवाही करने वारे कहा गया। जो दरखास्त एवं रिकार्डिंग के मजबुन से मामला सरेदस्त जुर्म 7 PC ACT का सरजद होना पाया गया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त मुख्य सिपाही सत्यवान 645/GRP के थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक, भेजी जा रही है। बाद करने दर्ज अभियोग नम्बर पर्चा से सुचित किया जाए। और स्पेशल रिपोर्ट अफसरान वाला व ईलाका मजिस्ट्रेट को नियमानुसार भेजी जाए। मेरे द्वारा एक दरखास्त बराये नियुक्त राजपत्रित अधिकारी स्वतन्त्र साक्षी व कर्मचारी ई-मेल माध्यम से पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक मण्डल रोहतक को भेजी गई है। जो बाद होने नियुक्त राजपत्रित अधिकारी स्वतन्त्र साक्षी से सम्पर्क करके नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी। अज:-नजदीक झरोठी टोल प्लाजा खरखौदा सोनीपत। हस्ता अंग्रेजी Sachiv Insp

Sachiv Insp

SV/ACB Unit SPT

Dated 05.12.2025

AT. 2.00 PM

अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर प्राप्त होने पर मु0 न0 32 दिनांक 05.12.25 धारा 7 P.C Act थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्प्युटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान वाला व ड्युटी

मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को बजरीया स्पेशल मैसेन्जर/मेल द्वारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त मुख्य सिपाही सत्यवान सिंह न0 645/रा0रे0पु0 की जाकर खाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक संजीव कुमार न0 944/सोनीपत की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Sachiv Rank (पद): I (Inspector)
Kumar

No. (सं.): 1720ggn to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

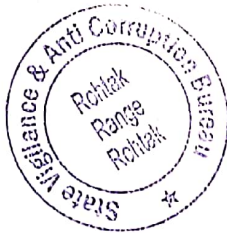
(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.

(आर.ओ.ए.सी.)



14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Samjeet

Rank (पद): C.D. Inspector (Police)

No. (सं.): 944/SPT

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.